न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 428/2017

मंगला पुत्र श्री भूरा, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर।

– अपीलान्ट्–

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री सोहनलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर।
2. उत्तम पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल, जाति अहीर, निवासी रोशन फार्म हाउस, चित्रकुट योजना के सामने गांधी पथ जयपुर।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

अपील संख्या :– 430/2017

मंगला पुत्र श्री भूरा, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर।

– अपीलान्ट्–

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री सोहनलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर।
2. उत्तम पुत्र स्व0 श्री रोशनलाल, जाति अहीर, निवासी रोशन फार्म हाउस, चित्रकुट योजना के सामने गांधी पथ जयपुर।
3. हरि पुत्र गंगाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक तृतीय पंचायत समिति कार्यालय झोटवाडा जयपुर।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री विजय कुमार शर्मा अपीलांट की ओर से।

2– श्री शिवसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–20–04–2018

1– उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा वाद संख्या 121/2012 एवं 170/2012 बउनवानी मंगला बनाम रामस्वरूप व अन्य एवं रामस्वरूप व अन्य बनाम मंगला वगैरा प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु वादग्रस्त भूमि समान होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी एक ही निर्णय पारित किये जाने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रकरण कें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 121/2012 मंगला द्वारा तथा अन्य वाद 170/2012 रामस्वरूप व अन्य द्वारा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्व ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1843 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया। वाद पत्र मे कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी 1/2 हिस्से की मंगला एवं 1/2 हिस्से की रामस्वरूप व उत्तम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त भूमि का मनबट के अनुसार विभाजन कर दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त कथन करते हुए बाहामी बंटवारे के अनुसार विभाजन की विधिक डिक्री पारित किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 18.05.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसके विरूद्ध उक्त दोनों अपीले प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18/05/2017 विधि, विधान, न्याय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी जिसमें अपीलान्टस द्वारा वादीगण के वाद का जवाब प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब प्रस्तुत हुए व बिना साक्ष्य सबूत के अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में अन्य वाद बाबत् घोषणा व अन्य अनुतोष के विचाराधीन है। जिसमें माननीय सिविल न्यायालय का स्थगन भी प्रभावी है, जो तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष उभय पक्षों की साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होते। ऐसी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष ना हो, जिस कारण ही रेस्पोडेंटस द्वारा बिना अपीलान्ट की उपस्थिति में प्रारम्भिक डिक्री पारित कराई है। विधि के प्रावधानों के अनुसार विभाजन के वाद में समस्त पक्षकारों की तलबी की जाकर समस्त पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर तनकीयात बनाई जाकर आदेश पारित किया जाना आवश्यक था। विधि के प्रावधानों के अनुसार राजस्व लोक अदालत व कैम्पों में जो भी निर्णय किये जाते हैं वो आपसी सहमति व पक्षकारों में राजीनामें के आधार पर किये जाते हैं परन्तु अपीलान्ट को ना तो राजस्व लोक अदालत की किसी प्रकार की सूचना दी गई ना ही वो राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हुए। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने बाला–बाला अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते तनकी दिनांक 03/04/2017 से 11/05/2017 नियत की गई थी। उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई तारीख पेशी सुनवाई हेतु निश्चित नहीं की। दिनांक 11/05/2017 से 18/05/2017 में मुकर्रर कर बिना अपीलान्ट को सूचना दिये डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अनस्पीकिंग आदेश है, जिसमें ना तो दावे के संबंध में कुछ अंकित किया गया है केवल मात्र अपने स्व–विवेक से अंकित करते हुए विस्तृत निर्णय ना लिखवाकर संक्षिप्त में जो निर्णय पारित किया गया है वो निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा वाद संख्या 170/2012 व 121/2012 में पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18/05/2017 को अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में दिनांक 22.03.2013 से जवाब में विचाराधीन था। उसके पश्चात् तनकी कायमी हेतु प्रकरण नियत किया गया तथा अपीलान्ट को बिना सूचित किये दिनांक 18.05.2017 को कैम्प में रखा जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। प्रकरण में जवाब दावा भी दिया गया था। जिसके आधार पर तनकी कायम कर निर्णय किया जाना चाहिए था। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। प्रकरण में नियत पेशी 11.05.2017 थी परन्तु उस दिवस को कोई कार्यवाही नहीं कर पत्रावली सीधे ही दिनांक 18.05.2017 को कैम्प में रख ली गई तथा अपीलान्ट को सुने वगैर नॉन–स्पीकिंग आदेश पारित कर दिया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने एवं प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर बाहंमी बंटवारा किया जाना स्वीकृत तथ्य है तथा भूमि की खातेदारी में हिस्से संबंधी कोई विवाद नहीं है। विभाजन के प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने के अवसर अपीलान्ट के पास मौजूद है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई प्राथमिक डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा दोनों अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन का अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट द्वारा अलग–अलग प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का बाहमी तौर पर बंटवारे कर दोनों पक्ष अपनी–अपनी जगह काबिज है। अपीलान्ट द्वारा मौके के बंटवारे व कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन किये जाने का अनुतोष अपने वाद पत्र में चाहा गया है तथा उक्त वाद का जवाब देते हुए रेस्पोडेंट ने जवाब दावे के मद नम्बर 17 में अंकित किया गया है कि विभाजन तथा मौके के कब्जे अनुसार डिक्री पारित किये जाने पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार दोनों पक्ष बाहमी तौर पर किये गये विभाजन एवं मौके पर कब्जे अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु सहमत है। मौके पर विभाजन एवं कब्जे की जांच मौका कमिश्नर द्वारा ही किया जाना संभव है जो कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के पश्चात् दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय ही सम्भव हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्राथमिक डिक्री जारी की गई है उसमें तहसीलदार जयपुर से वादग्रस्त भूमि के कुर्रेजात प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18–21 की पूर्ण पालना करते हुए व उभय पक्षों को सूचित करते हुए बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्रेषित करने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि में घोषणा संबंधी कोई विवाद नहीं है तथा दोनो पक्ष बाहमी तौर पर किये गये बंटवारे अनुसार विभाजन कराने हेतु सहमत है तथा बाहमी बंटवारे अनुसार कब्जा काश्त की जांच कर तहसीलदार द्वारा विभाजन नियमों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार किये जाने शेष है एवं उभय पक्ष के पास विभाजन प्रस्ताव पर यदि कोई आपत्ति हो तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है। ऐसे में विभाजन प्रक्रिया को इस स्टेज पर रोका जाना उचित नहीं है एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है तथा वह बहाल रखे जाने योग्य है।

8– अतः उक्त दोनों अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों के साथ सलंग्न की जावे।

9– निर्णय आज दिनांक 20–04–2018 को सुनाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर